न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(बईजलास पीठासीन अधिकारी कल्पित शिवरान आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–24/2021 जी.सी.एम.एस.न.2021/180 दिनांक: 18-6-2024

वरदीचन्द गोदी पुत्र काशीराम पिता घासी जाति मोग्या निवासी नलवाई
तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ़ –प्रार्थी

।।बनाम।।

1. श्रीमति कला पुत्री काशीराम पत्नि कन्नीराम जाति मोग्या निवासी नलवाई
2. श्रीमति बेनकी पुत्री काशीराम पत्नि देवीलाल जाति मोग्या निवासी सरोड़
3. तहसीलदार व उपपंजीयक बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ। –विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री नरेश दत्त जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री अनिल सोनावा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से
3. विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

–:: आदेश ::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की कम संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि मौजा नलवाई पटवार हल्का चेनपुरिया तहसील बड़ीसादड़ी मे खाता संख्या 52 की आराजी नं0 334 रकबा 0.0100 है0, आराजी नं0 335 रकबा 0.4100 है0, आराजी नं0 572 रकबा 0.0200 गै.मु.सड़क है0, आराजी नं0 582 रकबा 0.4700 है0 मा. है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.9100 है0 लगानी 10.1400 रूपया स्थित है।खाता संख्या 75 की आराजी नं0 577 रकबा 0.8500 है0 मा. कुल किता 1 कुल रकबा 0. 8500 है0 लगानी 4.25 रूपया वाके मौजा नलवाई पटवार हल्का चेनपुरिया तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है। खाता संख्या 111 की आराजी नं0 584 रकबा 2.1800 है0 बारानी कुल किता 1 कुल रकबा 2.1800 है0 लगानी 15.2600 रूपया वाके मौजा नलवाई पटवार हल्का चेनपुरिया तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है।कि वादी का पारिवारीक सजरा निम्नानुसार है :–

काशीराम

कला पुत्री | बेनकी पुत्री | वरदीचन्द गोदीपुत्र

कि वर्णित आराजीयात् पुश्तैनी पैत्रीक सम्पति की होकर काशीराम के पिता भुराजी के समय से चली आ रही है। काशीराम की मृत्यु हो चुकी है। काशीराम के दो पुत्रीयां कला व बेनकी हुई और पुत्र सन्तान नही होने से [illegible] के अनुसार प्रार्थी वरदीचन्द पिता घासी को मृतक काशीराम ने अपने जीवन काल में [illegible] व गोद की रस्म अदा की। प्रार्थी को बाल्यकाल में लगभग 10–11 वर्ष की आयु मे काशीराम एवं [illegible] पत्नि बगदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.06.26 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

बाई को प्रार्थी के पिता घासी एवं माता कालीबाई ने गौद बिठाया तथा काशीराम एवं उनकी पत्नि ने प्रार्थी को गोद लेना तथा प्रार्थी व उनके माता पिता ने गोद देना स्वीकार करते हुए प्रार्थी को काशीराम जी ने पंचो की मोजुदगी मे लेहरीया गुड बटवाया तथा ढोल बजवाया इस प्रकार हिन्दु रितिरिवाज अनुसार गौद लेने देने की प्रकिया सम्पन्न की गई तब से प्रार्थी जाति समाज में काशीराम के गोदी पुत्र के रूप मे जाना व पहचाना जाता है, तथा जाति समाज के पंचो के सामने प्रमाण स्वरूप काशीराम जी ने एक लिखतम भी बाद में स्टाम्प पर की तथा काशीराम व उनकी पत्नि बगदीबाई के जीवनकाल मे उनके इलाज व दवाईया आदि का खर्च भी गोदी पुत्र प्रार्थी द्वारा किया गया व दोंनो पुत्रीयों की पढाई लिखाई व शादि का खर्च भी गोदी पुत्र वरदीचन्द द्वारा किया गया।काशीराम की मृत्यु के पश्चात उसका अन्तिम कियाकर्म भी प्रार्थी के द्वारा किया गया। इसलिए काशीराम का वारीस उसका गोदी पुत्र प्रार्थी वरदीचन्द है तथा काशीराम के हिस्से की आराजीयात् पर काशीराम के समय से ही गोदी पुत्र की हैशियत से वरदीचन्द काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। काशीराम की मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारीयों ने सम्पूर्ण आराजीयात् का विरास्त का नामान्तरकरण मृतक काशीराम की पुत्रीयां कला व बेनकी के नाम पर दायर फैसल करके उनके नाम राजस्व रेकोर्ड में दर्ज कर दिया। जबकि गोदी पुत्र होने के नाते वादग्रस्त आराजीयात में काशीराम के गोदी पुत्र वरदीचन्द का भी काषीराम के सम्पूर्ण हक हिस्से में 1/3 हक हिस्सा निहित है। तथा उक्त दोनो की मृत्यु हो जाने से वादी व प्रतिवादीगण 1 व 2 का संयुक्तरूप से 1/3 – 1/3 हक हिस्सा बनता है। इसलिए वादग्रस्त आराजीयात में काशीराम की आराजीयात में वादी वरदीचन्द का 1/3 हिस्सा अपने खातेदारी मे घोषणा कराने के अधिकारी है तथा 1/3 – 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कलाबाई एवं बेनकी बाई के नाम रखा जावें। इसीअनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजीयात मे दर्ज कराई जावें। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित शामलाती आराजीयात मे काशीराम के 1/6 हिस्से मे उनके वारिस पर कला बाई का 1/12 व बेनकी बाई का 1/12 हिस्सा दर्ज रेकोर्ड है जबकि उक्त आराजीयात मे प्रार्थी गोदीपुत्र का भी हिस्सा निहित होने से उक्त आराजीया तमे प्रार्थी व प्रतिवादीयां संख्या 1 व 2 का बराबर बराबर 1/18, – 1/18 – 1/18 हिस्सा है तथा इसी हिस्सेनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। व कलम संख्या 2 मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी के नाम 1/18 हिस्से अनुसार दर्ज कराई जावें प्रार्थनापत्र की चरणसंख्या 3 व 4 में वर्णित शामलाती आराजीयात में काषीराम के 1/9 व 1/15 हिस्से मे उनके वारिस पर कलाबाई का 1/18 व 1/30 व बेनकी बाई का 1/18 व 1/30 हिस्सा दर्ज रेकोर्ड है जबकी उक्त आराजीयात मे प्रार्थी गोदीपुत्र का भी हिस्सा निहित होने से उक्त आराजीयात मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का बराबर बराबर 1/27 व 1/45 प्रार्थी वरदीचन्द व अप्रार्थी 1 व 2 का प्रत्येक का हिस्सा है तथा इसी हिस्सेनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी मोके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है व कलम संख्या 3 व 4 में वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी के नाम 1/27 व 1/45 हिस्से अनुसार दर्ज रेकोर्ड कराई जावें। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या [illegible] में वर्णित आराजीयात पर प्रार्थी करीब 25–30 वर्षो से काशीराम जी के जीवन काल [illegible] काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के अनपढ होने का [illegible] तरीके से काशीराम की सम्पूर्ण आराजीयात अपने नाम पर दर्ज करा ली जबकि अप्रार्थी 1 व 2 का आराजीयात पर कभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.06.26 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी जिला-चित्तौड़गढ़

कब्जा नही रहा और न ही वर्तमान मे है प्रार्थी उक्त सम्पूर्ण आराजीया तमे अपने हिस्सेनुसार अपना नाम पर राजस्व रेकोर्ड मे दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2,3,4 में वर्णित आराजीयात अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का अपने नाम पर होने का नाजायज फायदा उठा कर आराजीयात को रहन बय बक्षीश कर हस्तान्तरित करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को उनके कब्जे से बेदख्ल करने पर आमादा है तथा प्रार्थी के द्वारा बोई गई फसल को नष्ट करने पर आमादा है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वै वादग्रस्त आराजीयात को रहन बय बक्षीश कर हस्तानान्तरित नही करे न करावे न मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादी को शान्ति पूर्वक काबिज रहने दें। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये अभिकथन किया है कि प्राथी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2, 3, 4 में वर्णित आराजीयात् राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी साबित करे तथा उक्त आराजीयात् में विपक्षी क्रमांक 1 व 2 रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार है जिससे प्रार्थी का कोई सम्बंध व सरोहकार नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 05 में प्रार्थी ने गलत पारिवारिक सजरा बनाया है जिसमें प्रार्थी ने अपने आपको को मृतक काशीराम का गोदीपुत्र दर्शाया है जबकी काशीराम जी की वैध वारिस एवं उत्तराधिकार विपक्षी क्रमांक 1 व 2 है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वरदीचन्द काशीराम जी का गोदी पुत्र नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में अंकित तथ्यों का जवाब दिया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2,3,4 में वर्णित आराजीयात् विपक्षी क्रमांक 1,2 की पुश्तैनी पैतृक है जो विरास्त से विपक्षी क्रमांक 1 व 2 के नाम पर विधिक प्रकिया द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विपक्षी क्रमांक 1 व 2 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार दर्ज है स्व0 काशीराम जी की दो जायन्दा पुत्रीया विपक्षीयां है हमारे पिता श्री काशीराम जी ने किसी भी व्यक्ति को गोद नही लिया अगर गोद लेते तो उसकी जानकारी हम विपक्षीयां को होती जबकी हमारे पिता द्वारा किसी को गोद नही लिया गया ओर ना ही वरदीचन्द जी को गोद की रस्म कराई गई है। ऐसी कोई रस्म होती तो उसकी जानकारी विपक्षीयां को होती यह एक विचारणीय बिन्दु है इस चरण में प्रार्थी ने मिथ्या एवं मनगढ़त तथ्य अंकित किये है जिनका कानूनन कोई साक्ष्य नही है। प्रार्थी ने गलत तथ्य बताये है जिसमें किसी लिखापढ़ी बाबत् बताया है जो तथाकथित है जो अवैध है अगर हम विपक्षीयां के पिता कोई लिखतम गोद नामा बाबत् करते तो उसकी जानकारी हम विपक्षीयां को होती है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखतम संदेहस्पद है। तथा हम विपक्षीयां का विवाह तथा लिखाई पढ़ाई हमारे पिता श्री काशीराम जी द्वारा ही कराई गई है प्रार्थी वरदीचन्द कभी भी हमारे पिता काशीराम जी के पास नही है ओर ना ही उसने हमारे पिता व माता कि सेवा चाकरी नही कि ओर ना ही कोई गोद की रस्म गांव में हुई है ओर ना ही काशीराम जी लेहरीयां प्रार्थी को बंध्वाया है प्रार्थी ने सम्पर्ण तथ्य मिथ्या अंकित किये है। जबकी काशीराम जी की खातेदारी भूमि पर हम विपक्षीयां हमारे पिता के समय से काबिज होकर काश्त कर रही है इसके किसी भी भू भाग पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। तथा राजस्व अधिकारीयों द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये विरास्त कि कार्यवाही कर विधि तरीके से जांच के बाद विरास्त से काशीराम जी के खाते की आराजीयात हम विपक्षीयां के नाम पर की गई है अगर प्रार्थी काशीराम जी का गोदी पुत्र होता तो वह तहसील कार्यालय में विरास्त की कार्यवाही करवाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.06.26 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

या राजस्व अधिकारी विरास्त के नामान्तरण के समय इनका नाम खाते में लगाते इससे साबित होता है कि प्रार्थी काशीराम जी का गोदी पुत्र नही है। वास्तविकता यह कि प्रार्थी वरदीचन्द ने गलत एवं फर्जी तरीके से हमारे पिता काशीराम जी का गोदी पुत्र बताकर अफीम का पट्टा जो हमारे पिता के नाम पर था उसको इनके नाम प नाम परिवर्तन कराया जिसकी जानकारी हम विपक्षीयां को हुई तथा हमारे द्वारा उक्त अफीम पट्टा नाम परिवर्तन में सभी तथ्य बताये तो अफीम विभाग द्वारा प्रार्थी के नाम पर जारी अफीम पट्टे को भी निरस्त कर दिया गया है। हम विपक्षीया रिकाडेर्ड खातेदार काष्तकार है जिससे हमारे खिलाफ प्रार्थी कोई स्थाई निषेधज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। ओर ना ही प्रार्थी तथाकथित गोद नामा के आधार पर खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र/वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 09 में प्रार्थी ने मिथ्या तथ्य अंकित किये है जो हम विपक्षीया को अस्वीकार है। राजस्व अधिकारीयों द्वारा विरास्त कि कार्यवाही वैध तरीके से की गई है अगर विरास्त की कार्यवाही से प्रार्थी अंसतुष्ठ है तो उसको उसके खिलाफ कार्यवाही करानी चाहिये थी जबकी प्रार्थी ने तथाकथित गोदनामा की लिखतम जो की अपंजीकृत है उसके आधार पर खातेदारी घोषित कराने का वाद /प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कानूनन गोद नामा की घोषणा की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 व 11, 12 में प्रार्थी में मिथ्या तथ्य अंकित किये है जो विपक्षीयां को अस्वीकार है। विपक्षीया रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत एक रिकाडेर्ड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नही किया जा सकता है। इसलिये कानून तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त तथा सुविधा का सन्तुलन हम विपक्षीया के पक्ष में है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे का निवेदन किया ।

बहस बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों दौहराते हुए तर्क दिया है कि वादग्रस्त आराजीयात् पुश्तैनी पैतृक है तथा प्रार्थी काशीराम जी का गोदी पुत्र है जिससे उसका वादग्रस्त आराजीयात् में हक व अधिकार है तथा वादग्रस्त आराजीयात् पर प्रार्थी गोदी पुत्र की हैसीयत से काबिज होकर काश्त बुवाई करता चला आ रहा है विपक्षीगण का कोई कब्जा काश्त नही है विपक्षीगण की पढ़ाई लिखाई व शादी प्रार्थी ने ही कराई है विपक्षीगण ने राजस्व कर्मीयों से मिलीभगत करके इनके नाम आराजी कर दी जबकी प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही किया है इसलिये प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात् का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा विपक्षीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात् को रहन, बय, बक्षीश कर हस्तानान्तरण नही करे ना करावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे। इसके विपरित अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 का तर्क रहा है कि वादग्रस्त आराजीयात विपक्षीया क्रमांक 1 व 2 के पिता स्व0 काशीराम जी के नाम पर दर्ज थी काशीराम के कोई पुत्र नही था उन्होने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नही लिया है समस्त चल अचल सम्पति पर विपक्षीया काबिज होकर उपयोग – उपभोग कर रही है उनकी देखभाल बिमारी का ईलाज सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.06.26 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

विपक्षीया ही करती थी, अगर प्रार्थी को विपक्षीयां के पिता गोद लेते तो उसकी जानकारी विपक्षीया को होती वो उनकी सहमति लेते, प्रार्थी ने फर्जी एवं बनावटी तथाकथित गोदनामा तैयार किया है जिसकी कानूनन कोई वैधता नही है गोदनामें की घोषणा का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। तथा तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा काशीराम जी की मृत्यु के बाद विधिक प्रकिया अपना कर जांच पड़ताल करके विधिक तरीके से विरास्त की कार्यवाही करके काशीराम जी की भूमि विपक्षी क्रमांक 1 व 2 के नाम पर दर्ज की जो वैध है। अगर प्रार्थी काशीराम जी का गोदी पुत्र होता तो नामान्तरण की कार्यवाही तहसीलदार बड़ीसादड़ी के समक्ष करता लेकिन उसने नही की अगर विरास्त के नामान्तरण से प्रार्थी का कोई हित प्रभावित हुआ है तो प्रार्थी उक्त नामान्तरण की विधि में निहित प्रावधानों के तहत चाराजोही करता लेकिन उसने नही करके महज झूठा वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षों के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं का प्रमाणित करना होता है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर विवेचन व निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

1.प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से अभिप्राय यह है कि क्या प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के जरिये ऐसा कोई सद्भाविक प्रशन उठाया गया है जिसके लिए न्यायालय द्वारा जांच एवं अनुसंधान की आवश्यकता है। इस सम्बंध में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजीयात् काशीराम की पुश्तैनी होना तथा प्रार्थी द्वारा अपने आप को काशीराम का गोदी पुत्र होना बताया गया है तथा प्रार्थी ने अंकित किया कि वादग्रस्त आराजीयात् पर विपक्षीगण का कोई कब्जा काश्त नही है फिर भी विपक्षीगण ने वादग्रस्त आराजीयात् राजस्व कर्मीयों से मिलीभगत करके उनके नाम पर गलत तरीके से दर्ज करा दी जबकी उक्त भूमि काशीराम का गोदी पुत्र होने से उसके नाम दर्ज होनी चाहिये थी, प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि विपक्षीगण की पढ़ाई लिखाई तथा शादी प्रार्थी ने ही कराई है तथा प्रार्थी ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर गोद के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है तथा विपक्षीगण इनके नाम पर वादग्रस्त आराजीयात् होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजीयात् का हस्तानान्तरण किसी को भी कर सकती है इसलिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त कृषि आराजी विपक्षीया संख्या 1, 2 की पुश्तैनी है जिस पर विपक्षीया के पिता काबिज काश्त थे उनके स्वर्गवास के बाद विपक्षीया काबिज होकर काश्त बुवाई करती रही है। वादग्रस्त आराजीयात् के किसी भी भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.06.26 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

भाग पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। विपक्षीगण के पिता ने उनके जीवनकाल में प्रार्थी को कभी भी गोद नही लिया ओर ना ही कोई गोद की रस्म हुई है। विपक्षीगण के पिता के देहान्त के बाद विधिक प्रकिया के तहत राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारीयों द्वारा वारिसान् की जांच पड़ताल करके तथा मौके कब्जे की जांच के उपरान्त विरास्त के नामान्तरण की कार्यवाही करके राजस्व रिकार्ड में विपक्षीगण का नाम दर्ज किया गया जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जो जमाबन्दी नकल से साबित है। अगर प्रार्थी काशीराम जी का गोदी पुत्र होता तो वो नामान्तरण की कार्यवाही कराता लेकिन उसके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गोदनामा भी तथाकथित बताया है जिसकी कानूनन कोई वैधता नही है। गोदनामा का पंजीयन कानूनन अनिवार्य है अनरजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर गोदी पुत्र की घोषणा सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में झूठ तथ्य अंकित किये है उसने बताया कि विपक्षीगण को उसने पढ़ाया लिखाया होता तो वो अंगुष्ठ निशानी क्यु करती इससे साबित होता है कि प्रार्थी ने गलत झूठा तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत तथाकथित गोदनामा है जिसके आधार पर प्रार्थी किसी भी प्रकार से विपक्षीगण जो रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार है उनको स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नही करा सकता है। प्रार्थी ने फर्जी गोदनामें के आधार पर अफीम का पट्टा विपक्षीगण के पिता काशीराम के नाम पर था उसको गलत तरीके से इसके नाम पर करा दिया जिसकी कार्यवाही विपक्षीगण द्वारा कराई गई जिसमें अफीम का पट्टा प्रार्थी वरदीचन्द के नाम पर बना था उसको अफीम विभाग द्वारा जांच पड़ताल बाद निरस्त किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। इसका विश्लेषण किया गया जिससे यह पाया जाता है कि विवादित आराजीयात् की खातेदार विपक्षी संख्या 1, 2, है उक्त आराजीयात् काशीराम की मृत्यु के बाद विरास्त से दर्ज की गई है अगर प्रार्थी गोदी पुत्र होता तो उसको विरास्त की कार्यवाही करनी चाहिए थी न की घोषणात्मक दावा एवं काशीराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति से स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु दिनांक 21.08.2006 को हुई है जबकी प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.2021 को प्रस्तुत किया जो करीब 15 वर्ष बाद प्रस्तुत हुआ तथा ग्राम पंचायत चेनपुरिया के प्रमाण पत्र दिनांक 24.11.2021 में काशीराम मोग्या की वारिस कलाबाई, बेनकी बाई पिता काशीराम है वो अंकित है। अतःपत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजात् से यह प्रमाणित होता है कि विपक्षीगण राजस्व रिकाडेर्ड में खातेदार है, तथा मृतक काशीराम की वैध वारिस है अगर प्रार्थी मृतक काशीराम का गोदी पुत्र होता तो वो करीब 15 वर्ष तक अनरजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर कोई कार्यवाही क्यु नही की तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किये है प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहा है इसलिये प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

2.सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति :

उक्त दोनों बिन्दु एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध पाया गया है जिसको प्रमाणित करने में प्रार्थी असफल रहा है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.06.26 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

ने अनरजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मृतक काशीराम की मृत्यु के करीब 15 वर्ष बाद पेश हुआ है तथा विपक्षीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में विरास्त से नामान्तरण से दर्ज हुआ है अगर प्रार्थी का विरास्त में नाम नही लगा हुआ है तो उसको विधि में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करनी चाहिये, विपक्षीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नही हो रही है। बल्कि विपक्षीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मृतक काशीराम की वैध वारिस है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा से इनको पाबंद किया गया तो अपूर्णीय क्षति व असुविधा विपक्षीगण हो सकती है। इस प्रकार दोनों बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध तय किये जाते है।

तीनो ही तात्विक बिन्दुओ को प्रार्थी साबित करने के असफल रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यो पर प्रस्तुत किया जाने से अस्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 18-6-24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी जिला-चित्तौड़गढ़

(कल्पित शिवरान) आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी
उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.06.26 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested